जबकि प्रतिनिधि में अध्यक्ष बहुमत दल का प्रतिनिधि होता है और दल के नेता के रूप में वह प्रतिनिधि सभा में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। ब्रिटेन में अध्यक्ष की स्थिति गौरवपूर्ण है तथा वह सर्वसम्मति से निर्वाचित होता है तथा वह कामन्स सभा के नियम, निर्णय और विशेषाधिकारों का संरक्षक बन जाता है। अब ऐसी प्रथा बन गई है कि सामान्य निर्वाचन में उसके विरुद्ध कोई अन्य दल उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है जिससे वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। इसलिए अब यह कहा जाता है कि "Once a speaker always a speaker." अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को ब्रिटिश अध्यक्ष की तरह गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। मुनरो ने ब्रिटिश अध्यक्ष को Most conspicuous figure in the ~~world~~ House. कहा है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष अपने सदन में पार्टी के हितों की पूर्ति करता है और दल के नेता के रूप में विधेयकों पर बोलता है तथा मतदान करता है। फाइनर ने दोनों की तुलना करते हुए कहा है "कामन्स सभा का स्पीकर सिर्फ नियमों का उल्लेख करता है और ~~दल~~ ~~के नेता के रूप में विधेयकों पर बोलता~~ है निष्पक्षता से उन्हें लागू करता है जबकि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपनी इच्छा से नियमों का पुनर्निर्माण करता है और सदन की कार्यवाही के निर्धारण में भी भाग लेता है।

कामन्स सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों प्रतिनिधि संस्था है तथा उसका सम्बन्ध सीधे जनता से है। इसलिए दोनों संस्थाओं का मुख्य कार्य विधि निर्माण करना है। परन्तु सांविधानिक भिन्नता के कारण दोनों की विधायी भूमिका में गंभीर अन्तर देखा जाता है। कामन्स सभा ब्रिटिश संसद का लोकप्रिय सदन है और संसद का व्यवहारिक अर्थ कामन्स सभा ही है। अमेरिका में कांग्रेस के भीतर सीनेट को सर्वाधिक - P.T.O

महत्व प्रदान किया गया है और प्रतिनिधि सभा की स्थिति इसके अनुचर जैसी है इसलिए प्रतिनिधि सभा की विधायी भूमिका कमजोर हो जाती है।

ब्रिटेन और अमेरिका मे क्रमश: कामन्स सभा और प्रतिनिधि सभा को सामान्य विधायी अधिकार प्राप्त है। कोई भी सामान्य विधेयक ब्रिटेन और अमरीका में संसद और कांग्रेस के किसी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रिटेन मे कामन्स सभा किसी विधेयक को स्वीकृत कर देती है तो उसे लार्डस सभा मे भेजा जाता है और उसकी स्वीकृति मिलने पर उस पर सम्राट की सहमति ली जाती है। परन्तु सम्राट की स्वीकृति सिर्फ औपचारिक होती है। लार्डस सभा को कामन्स सभा द्वारा स्वीकृत विधेयक मे संशोधन करने का अधिकार है लेकिन उसे स्वीकृत करना या नही करना कामन्स सभा के उपर निर्भर करता है। लार्डस सभा अधिक से अधिक किसी सामान्य विधेयक को एक वर्ष के लिए रोककर रख सकती है। परन्तु यह अवधि बीतने के बाद कामन्स सभा उसे सम्राट की अनुमति के लिए भेज सकती है। प्रतिनिधि सभा की स्थिति कामन्स सभा जैसी निर्णायक नही है। सीनेट की इच्छा के बगैर प्रतिनिधि सभा कोई भी विधेयक पारित नही कर सकती।

प्रतिनिधि सभा के विपरित कामन्स सभा को राजकीय वित्त को नियंत्रित करने की असीमित शक्ति प्रदान की गई है। बजट और अन्य ~~विधेयक~~ वित्त विधेयक कामन्स सभा मे ही प्रस्तुत किये जाते है। उसकी अनुमति के बिना न तो कोई धन व्यय किया जा सकता है और न ही कोई कर लगाया जा सकता है। लार्डस सभा को वित्तिय मामलो मे शक्तिहीन बना दिया गया है। कानूनी रूप से लार्डस सभा किसी वित्तिय प्रस्ताव को एक माह

Scanned with CamScanner